

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)  
प्रकरण संख्या - 175/2023

अनवान : -

1. सुभाष चन्द्र पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट साकिन राणीसर तहसील नोहर।

- वादी

**बनाम्**

1. ओमप्रकाश पुत्र केशराराम जाति जाट साकिन राणीसर तहसील नोहर।
2. मोनिका पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट साकिन राणीसर तहसील नोहर।
3. ममता पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट साकिन राणीसर तहसील नोहर।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

**दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्त0**

**अधि0 1955**

उपरिस्थिति :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

**निर्णय**

**दिनांक: 01.06.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के खाता स0 33/35 की कुल 22.880 हैक्ट भूमि में से 1/10 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा केशराराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा ने रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के खाता स0 33/35 की कुल 22.880 हैक्ट भूमि में से 1/10 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज करवा दी। प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि को तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली, उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी तथा प्रतिवादी सं0 2 व 3 का प्रतिवादी स0 1 के साथ बहिब के खातेदार काश्तकार है।

प्रतिवादीया स0 2 व 3 जो की वादी की बहिन है एवं प्रतिवादी स0 1 की पुत्री है उक्त वादी भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी एवं प्रतिवादी स0 1 के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। बाद हक त्याग उक्त भूमि पर वादी काबिज है तथा प्रतिवादी स0 1 के नाम रोही मौजा राणीसर के अन्य खाता में दर्ज भूमि यथावत

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
नोहर (हनुमानगढ)



रहेगी। इसी अनुसार वादी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी सं० 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 ता 3 ने उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो मुझ प्रतिवादी को कोई एतराज नहीं है। वादी ने वाद के समर्थन में नयी व पुरानी जमाबंदी, सदस्य प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज पेश किये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का इकबाल/आपसी सहमति मजमें आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी सं० 2 व 3 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादी सं० 1 के नाम अन्य खाता में दर्ज भूमि है। वादी के वाद को प्रतिवादी सं० 1 द्वारा स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के खाता सं० 33/35 की कुल 22.880 हैक्ट भूमि में से 1/10 हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं० 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजों से दादालाई पैतृक कृषि भूमि होना साबित है। प्रतिवादी सं० 1 ता 3 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश कर निवेदन किया है कि यदि वाद वादी डिक्री फरमाया जाता है तो प्रतिवादी सं० 1 को कोई एतराज नहीं है। प्रतिवादी सं० 2 व 3 ने अपना हक त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादी सं० 1 के अन्य कृषि भूमि होना स्वीकार किया गया है। वादी के वाद को प्रतिवादी सं० 1 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के खाता स0 33/35 की कुल 22.8800 हैक्ट भूमि में से 1/10 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 11/6/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2023 में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।



(सत्यनारायण R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलक्टर नोहर

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

कैम्प कोर्ट-मन्दरपुरा

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)  
प्रकरण संख्या - 175/2023

अनवान : -

1. सुभाष चन्द्र पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट साकिन राणीसर तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. ओमप्रकाश पुत्र केशराराम जाति जाट साकिन राणीसर तहसील नोहर।
2. मोनिका पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट साकिन राणीसर तहसील नोहर।
3. ममता पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट साकिन राणीसर तहसील नोहर।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955  
राजस्व वाद संख्या 175 सन 2023 निर्णय दिनांक 01.06.2023

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान - 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के खाता स0 33/35 की कुल 22.880 हैक्ट भूमि में से 1/10 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 01/06/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर नोहर  
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023  
कैम्प कोर्ट-मन्दरपुरा